

केंद्रीय कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021.

परोक्षी फॉर्म (फॉर्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षर किया जाये)

रजि. फोलियो क्र.

(यदि डिमैटरियलाइज नहीं किया गया है)

डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी

(यदि डिमैटरियलाइज किया गया है)

मैं/हम _____ राज्य _____ के _____ जिले के _____ का निवासी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का एक शेयरधारक होने के नाते _____ राज्य के _____ जिले के _____ के निवासी
श्री/श्रीमती _____ अथवा उनके असफल रहने पर _____ राज्य के _____
जिले के _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को शुक्रवार 16 मार्च, 2018 को प्रातः 11.00 बजे
वाय.बी. चव्हाण सभागार, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालय के सामने, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400021 में होने वाली यूनियन बैंक ऑफ
इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से वोट डालने के लिए तथा उसके किसी भी स्थगन के लिए
अपना परोक्षी नियुक्त करता/करते हूँ/हैं.

_____ 2018 के _____ दिन हस्ताक्षरित.

कृपया
रसीदी टिकट
लगाएं

परोक्षी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

परोक्षी फॉर्म हस्ताक्षर करने तथा दर्ज करने के लिए निर्देश

- कोई भी परोक्षी लिखत वैध नहीं होगा जब तक कि वह:
 - वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, इस पर उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
 - संयुक्त धारकों के मामले में, इस पर रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
 - निगमित निकाय के मामले में इस पर इसके अधिकारी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो.
- परोक्षी लिखत पर किसी भी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना पर्याप्त होगा यदि किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हैं, तो उसके अंगूठे के निशान लगे हों तथा उसे किसी जज, मजिस्ट्रेट, एशयोरेंस के पंजीयक या उप पंजीयक अथवा सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
- निम्न के साथ परोक्षी
 - मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार(यदि कोई है) जिसके अधीन इस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 - नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति कंपनी सचिव को संबोधित, निवेशक सेवायें प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 के पास असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, 09 मार्च, 2018 को शाम 5 बजे तक या उससे पूर्व जमा कर दिया जाना चाहिए.
- जब तक विधिवत रूप से स्टैम्प न लगाया गया हो कोई भी परोक्षी लिखत वैध नहीं होगा.
- बैंक के पास जमा किया गया कोई लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
- वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में अनुमत किए गए परोक्षी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे.
- शेयरधारक ने जिस असाधारण सामान्य बैठक से संबन्धित परोक्षी लिखत निष्पादित किया है उसमें वह व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए अधिकृत नहीं है.
- ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नहीं नियुक्त किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.

Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)

DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We _____ resident(s)
of _____ in the district of _____ in the
state of _____ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai
hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in
the district of _____ in the state of _____ or failing him / her,
Shri/ Smt. _____ resident of _____ in the
district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote
for me / us and on my / our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of Union Bank of India to be held on
**Friday, 16th March, 2018 at 11.00 a.m. at Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Opp. Mantralaya, Nariman
Point, Mumbai, Maharashtra - 400021** and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2018.

Please
Affix
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his/ her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021 not less than four days before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. **on or before 5.00 PM on Friday, 9th March, 2018.**
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.